## प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

## **DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION**





वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : <u>dicgc@rbi.org.in</u>

13 मई 2025

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान – न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	Payment under Section 18 A of DICGC Act - New India Co-operative Bank Limited, Mumbai
उपर्युक्त मामले में दिनांक 14 फरवरी 2025 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।	Reference is invited to the Press Release dated February 14, 2025, in the captioned matter.
2. इस अधिनियम की धारा 18ए (7) के अनुसार, डीआईसीजीसी ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने की तिथि को नब्बे दिनों की अविध अर्थात 12 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है।	2. In terms of Section 18A (7) of the Act, the DICGC has extended the date on which it shall become liable to pay depositors of New India Co-operative Bank Limited, by a period of ninety days i.e. till August 12, 2025.

एन. अरुण विष्णु कुमार निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति: 2025-2026/ 05